

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.- 69/2018

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक-5.7.18

सरकार बनाम नरसी
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

सुक्ष्म वृत्तांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पण्डित पुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम हॉसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 243रकबा 0.26 किस्म जमीन सि0चक गै0मु0रास्ता पर नरसी पुत्र बहादुर जाति गुजर निवासी हॉसियावास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने 50मीटर भूमि पर गोबर रूडी,छडी,डांकला डाल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सुचनापरान्त गैर सायल उपस्थित आया । गैरसायल को बार- बार वास्ते जबाब अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जबाब पेश नहीं किया गया तथा नाही कोई ऐसे साक्ष्य , दस्तावेज पेश किये जिनके आधार पर गैरसायल को राहत दी जा सके । अतः पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट सही साबित होती है इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः नरसी पुत्र बहादुर जाति गुजर निवासी हॉसियावास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम हॉसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 243 रकबा 0.26 जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0. 005है पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 20 का पचास गुणा 10 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।


निर्णय आज दिनांक 5-7-18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

दिनांक 2018 07-19 क रा० ले० 4

ह वृ० संख्या ९९ पर 10

10 कपरे वा म किये गये ।


भागीरथराम
कोटपूतली


तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)